



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-12102026-277069
CG-TL-E-12102026-277069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5335]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5335]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 8 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5547(अ).— रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 2 के खंड (37A) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "डोर्नकल-मणुगुरु सेक्शन पर कारेपल्ली-सिंगरेनी कोलियरीज रेलवे स्टेशनों के बीच किलोमीटर 2/11-12 पर स्थित समपार फाटक सं. 8 एमबी के स्थान पर 1x5.5x4.0मी. प्रीकास्ट आरआरसी बॉक्स के रूप में किलोमीटर 2/11-12 पर आरयूबी (सबवे) के प्रस्तावित निर्माण" को तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िले में सार्वजनिक हित के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए एक 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है।

[फा. सं. CW.277.DB.Land/LA/SRP/DKJ-MUGR/LC8MB]

के. मुत्थाला नायडु, अमरेप्र/इन्फ्रा/सिकं.

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 8th October, 2026

S.O. 5547(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Proposed Construction of RUB (Subway) at KM 2/11-12 as 1x5.5x4.0M Precast RCC box in lieu of LC No.8MB at KM 2/11-12 between Karepalli-Singareni Collieries Railway stations on Dornakal-Manuguru section" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Khammam for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CW.277.DB.Land/LA/SRP/DKJ-MUGR/LC8MB]

K. MUTYALA NAIDU, ADRM/Infra/SC